अभिरुचि हेतु अभिव्यक्ति
विधि फर्मों का पैनल बनाने हेतु

1. शीर्षक:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो भारत सरकार द्वारा लागू विधिक अधिनियमितियों/नियमों/विनियमों के अनुसार भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय अधिकरणों, अपील प्राधिकारियों, आयोग/गों/ न्यायिक अधिकारिता वाले अन्य मंचों, माध्यस्थमों आदि के समक्ष आईसीएमआर मुख्यालय एवं आईसीएमआर के संस्थानों/केंद्रों का विभिन्न कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी विधि फर्मों/ कंपनी/ स्वामित्व फर्म (प्रोप्राइटरशिप)/ एलएलपी का पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

2. विधि फर्म की आवश्यकता:

चयनित इकाई/इकाइयाँ विधिक परामर्श प्रदान करने, रिट याचिका/याचिकाओं, मूल आवेदन/आवेदनों, वाद/वादों, वादपत्र/वादपत्रों, विधिक मत/मतों, प्रत्युत्तर शपथ पत्रों/वक्तव्य/वक्तव्यों, करारों आदि तथा अन्य किसी भी विधिक दस्तावेज/दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने/पुनरीक्षण/विधिक्षा करने और आईसीएमआर मुख्यालय, आईसीएमआर के संस्थानों/केंद्रों की सेवा की प्रकृति, करार, सिविल, आपराधिक तथा अन्य संबंधित मामलों का विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों, आयोग/गों तथा अन्य न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष या आईसीएमआर द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगी।

3. कार्यप्रणाली:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के निबंधनों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इकाई/इकाइयों का चयन किया जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, न्यायिक अनुभाग, भारत सरकार के दिनांक 05.02.2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. J-12011/6/2025-Judlicial/E.158060 के अनुसार सुसंगत शुल्क का निर्धारित किया जाएगा।

ईओआई सं. आईसीएमआर/ईओआई/विधिक/2026 दिनांक: 12 अगस्त, 2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का आमंत्रण

चयनित इकाई/ इकाइयों का कार्य भारत सरकार द्वारा लागू न्यायिक अधिनियमितियों /नियमों/विनियमों के अनुसार भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय अधिकरणों, अपील प्राधिकारियों, आयोगों, न्यायिक अधिकारिता वाले अन्य मंचों, माध्यस्थमों आदि के समक्ष आईसीएमआर मुख्यालय और इसके संस्थानों/केंद्रों का बचाव करना है।

सूची

1. **अभिरूचि-पत्र:**

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय अधिकरणों, अपील प्राधिकारियों, आयोगों, न्यायिक अधिकारिता वाले अन्य मंचों, माध्यस्थ्मों आदि के समक्ष भारत में न्यायालयी मामलों/मध्यस्थताओं/याचिकाओं आदि एवं अन्य विधिक विवादों में आईसीएमआर का बचाव करने के लिए अनुभवी इकाई/ इकाइयों से ईमेल के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। यह ईओआई दस्तावेज़ जिसमें पात्रता मानदंड का विवरण, प्रस्तुतीकरण का विवरण, संक्षिप्त उद्देश्य, कार्य का क्षेत्र तथा मूल्यांकन मानदंड आदि शामिल हैं, को परिषद की वेबसाइट https://www.icmr.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. **आवेदकों के लिए समय-सारणी निम्नानुसारहै:**

ईओआई दस्तावेज़ सं.	आईसीएमआर /ईओआई /विधिक/2026 दिनांक: 12 अगस्त, 2026
प्रकाशन की तारीख़	17 अगस्त 2026
जमा करने की अंतिम तारीख़/समय	16 सितंबर 2026, सांय 5:30 बजे

नोट: अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) ईमेल के माध्यम से legalcellicmrhq@gmail.com पर भेजी जाए। केवल अल्प-सूचीबद्ध की गई इकाई/ इकाइयों से ही आगामी चयन प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा। आईसीएमआर बिना किसी दायित्व अथवा ऐसे ईओआई के अनुरोध के प्रति बाध्यता या बिना कोई कारण बताए किसी भी ईओआई के अनुरोध को निरस्त करने तथा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस चरण में प्रदान की गई जानकारी

केवल सांकेतिक है और परिषद ईओआई में संशोधन/अतिरिक्त विवरण जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पृष्ठभूमि:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली, जैव चिकित्सा अनुसंधान के विनियमन, समन्वय और प्रोन्नत्ति के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है और यह विश्व के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। आईसीएमआर ने सदैव एक ओर जैव चिकित्सा अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रगति की बढ़ती हुई मांगों का समाधान करने का प्रयास किया है, तो दूसरी ओर देश की स्वास्थ्य समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने के कार्य को भी पूरा किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने उस समय से लंबा सफर तय किया है जब यह आईआरएफए के नाम से ज्ञात था, परंतु आईसीएमआर इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास में अभी भी उसे बहुत कार्य करना है।

3. कार्य का विस्तृत क्षेत्र:

करार की शर्तों और नियमों के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और वैधानिक अधिनियमितियों के अनुसारआईसीएमआर चयनित इकाई/इकाइयों को भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय, माननीय उच्च न्यायलय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों, अपील प्राधिकारियों, आयोगों, न्यायिक अधिकारिता वाले अन्य मंचों, माध्यस्थमों, मध्यस्थ न्यायाधिकरण और भारत के भीतर सभी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, वैधानिक और रेगुलेटरी मंचों के सामने आईसीएमआर और उसके संस्थानों/केंद्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनका बचाव करने के लिए नियुक्त करेगा।

चयनित इकाई/इकाइयां कार्रवाई से जुडे सभी ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ों—जैसे कि दलीलें, याचिकाएं, हलफनामे, लिखित बयान, आवेदन, अपील, उत्तर-प्रतियुत्तर, जवाब, जवाबी-हलफनामे आदि—को तैयार करने, उन्हें अंतिम रूप देने, उनकी जांच-पड़ताल करने, उन्हें दाखिल करने और उन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी। मसौदा तैयार करने और फाइलिंग का कार्य आईसीएमआर और/या संबंधित संस्थान/केंद्र (जैसा भी मामला हो) के साथ सलाह-मशविरा करके किया जाएगा और जहां भी ज़रूरी हो, आईसीएमआर के सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी लेनी होगी। इसके बाद, चयनित इकाई/इकाइयां संबंधित फोरम के समक्ष मामले को दाखिल करने और उस पर आगे बढ़ने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगी और पूरी कार्रवाई के दौरान आईसीएमआर तथा उसके संस्थानों/केंद्रों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करेंगी।

4. नियुक्ति की अवधि:

प्रारंभ में, नियुक्ति की अवधि, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए होगी। परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, कार्य-निष्पादन, आचरण और संलग्न विधि फर्म/ फर्मों की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता के आधार पर, आईसीएमआर के पूर्ण विवेकाधिकार पर कार्यकाल को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5. पात्रता मानदंड:

(1) केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों आदि के लिए विधिक मामलों के संचालन में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव।

(2) सेवा संबंधी मामलों, अनुबंधों, माध्यस्थता, प्रशासनिक विधि, नागरिक, आपराधिक तथा अन्य संबंधित विधिक मामलों में विशेषज्ञता।

(3) विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में मामलों के संचालन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं श्रम-शक्ति।

6. पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी):

चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) निम्नानुसार है। निर्धारित पीक्यूसी आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले या अपेक्षित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने वाले आवेदकों को अयोग्य माना जाएगा और उनके आवेदन/प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदनों /प्रस्तावों का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में, आईसीएमआर द्वारा कोई पत्राचार,अभ्यावेदन, स्पष्टीकरण या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा :

क्र.सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेजों के समर्थन में प्रतियां (सभी दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-सत्यापित होने चाहिए)
1.	आवेदक को कंपनी/ विधि फर्म/ स्वामित्व फर्म अथवा एलएलपी के रूप में भारत में पंजीकृत होगी।	पैन कार्ड/पंजीकरण प्रमाणपत्र (कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़)
2.	आवेदक कंपनी/विधि फर्म/स्वामित्व फर्म /एलएलपी को कार्य-क्षेत्र में कम से कम (दस वर्ष) का अनुभव होना चाहिए।	दीर्घ काल से कार्य करने से संबंधित दस्तावेज़, पुस्तिका/प्रचार-पत्र/विवरण-पुस्तिका आदि।
3.	आवेदक कंपनी/ विधि फर्म/ स्वामित्व फर्म /एलएलपी को किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार द्वारा ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया हो।	आवेदक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-2 के अनुसार)
4.	आवेदक कंपनी/ विधि फर्म/ स्वामित्व फर्म /एलएलपी को किसी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध किसी	आवेदक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-3

	भी प्रमुख मुकदमेबाज़ी में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और करार के तहत अपेक्षित शर्तों पर कोई प्रभाव न पड सके या उनसे कोई समझौता न करना पडे।	के अनुसार)

7. आवेदकों के लिए अनुदेश:

(1) आवेदकों से अनुरोध है कि वे सभी कार्य-प्रणालियों, पात्रता मानदंडों, अपेक्षित पूर्व-योग्यताओं, निष्पादन के लिए कार्यक्षेत्र और अभिरुचि प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी/आर्थिक क्षमताओं से संबंधित आवश्यकताओं और परिषद के सत्यापन के अधीन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

(2) पात्रता व पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों की प्रतियां।

(क) केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्थान के नियुक्ति-पत्र।

(ख) पैन कार्ड

(ग) संबंधित बैंक का अधिदेश प्रपत्र।

(घ) अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता/गण तथा अधिवक्ता/गण का वकालत करने का लाइसेंस।

(ङ) पंजीकृत कार्यालय का पता।

(च) कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक देना चाहें।

आईसीएमआर व्यापक दायरे में सीमित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां भी मूल्यांकन में उचित निर्णय के लिए ऐसा स्पष्टीकरण आवश्यक हो।

(3) अस्वीकृति (रद्द करने) के मानदंड:

आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है यदि:

(क) प्रस्ताव ईओआई में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

(ग) अपेक्षानुसार उचित रूप में हस्ताक्षरित नहीं है।

(घ) नियत तारीख और समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है।

(ङ) सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(च) प्रस्ताव बिना किसी भौतिक विचलन के पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ऐसा न करने पर प्रस्ताव को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(4) अस्वीकरण:

(क) किसी भी कारण से देरी से प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए आईसीएमआर मुख्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) आईसीएमआर मुख्यालय बिना कोई कारण बताए ईओआई के आमंत्रण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ग) आईसीएमआर मुख्यालय अपने सर्वोत्तम हित में, बिना कोई कारण बताए, इस दस्तावेज़ में निर्धारित किसी भी शर्त में छूट दे सकता है या उसे माफ कर सकता है।

(घ) आवेदकों से परामर्श के बाद या अन्यथा, किसी भी समय कार्यक्षेत्र में कोई अन्य मद शामिल करना।

(5) मूल्यांकन पद्धतिः

ईओआई की स्क्रीनिंग ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार और प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर की जाएगी। अल्पसूचीबद्ध आवेदकों को निष्पादन-करार भेजा जाएगा।

(6) किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में कृपया निम्न से संपर्क करें:

रवि शंकर मीना
17/8/26

रवि शंकर मीणा / Ravi Shanker Meena
प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ / Administrative Officer, Legal Cell
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद / Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
वी. रामालिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
V. Ramalingaswami Bhawan Ansari Nagar, New Delhi-29

(रवि शंकर मीना)
प्रशासन अधिकरी
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर),-
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.
ईमेल legalcellicmrhq@gmail.com
फ़ो नं. +91-9953300083

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.

विषयः विधि फर्म की नियुक्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का प्रस्तुतिकरण।
संदर्भः ईओआई सं. परिषद/ईओआई/विधिक/2026 दिनांक 12 अगस्त 2026

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी विधि फर्म की नियुक्ति से संबंधित ईओआई के सभी दस्तावेज़ों को पढ़ने और जांचने के पश्चात एतदद्वारा ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्य/कार्य-क्षेत्र को स्वीकार करने में अपनी अभिरुचि व्यक्त करता/करती है। विधि फर्म और संपर्क व्यक्ति की जानकारी निम्नानुसार है:

1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	
3.	नाम, पदनाम, एवं पता, जिसके नाम सभी संदर्भ दिए जाएँगे	
4.	टेली फ़ोनं. (एसटीडी कोड के साथ)	
5.	संबंधित व्यक्ति का मो. नं.	
6.	संबंधित व्यक्ति की ईमेल आईडी	

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:

(क) उपर्युक्त पैरा 5(3) में उल्लेखित,यथाआवश्यक।

(ख) पैन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण-पत्र।

(ग) दीर्घकालिक कार्य करने से संबंधित दस्तावेज़, पुस्तिका/प्रचार-पत्र/विवरण-पुस्तिका आदि।

(घ) आवेदक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्वता, (प्रारूप-2 के अनुसार)।

(ङ) आवेदक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-3 के अनुसार)।

(च) उपर्युक्त पैरा 5(4)एवं 5(5) में उल्लेखित,यथाआवश्यक।

(छ) कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक देना चाहें।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इसमें दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

धन्यवाद,
भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नामः
पदनामः
मोहरः

स्थानः
दिनांकः

प्रारूप-2

ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

विषयः ब्लैकलिस्टिंग/अविवर्जन के संबंध में वचनबद्धता।

संदर्भः ईओआई सं परिषद/ईओआई/विधिक/2026 दिनांक 12 अगस्त 2026

महोदय,

एतदद्वारा यह पुष्टि एवं घोषणा की जाती है कि.. को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी क्षेत्र या किसी अन्य संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जिस काम / असाइनमेंट / सेवा को पूरा करना / शुरू करना हैं।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नामः

पदनामः

मोहरः

स्थानः

दिनांकः

प्रारूप-3

गैर-मुकदमेबाज़ी के संबंध में वचनबद्धता

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

महानिदेशक,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,
वी. रामलिंगस्वामी भवन,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.

विषय:गैर-मुकदमेबाज़ी के संबंध में वचनबद्धता।
संदर्भ: ईओआई सं परिषद/ईओआई/विधिक/2026 दिनांक 12 अगस्त 2026
महोदय,

एतदद्वारा पुष्टि और घोषणा की जाती है कि .... का किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसके साथ कोई सहमति ज्ञापन (एमओयू)/करार का कार्यभार लिया गया है/निष्पादित किया गया है, के साथ कोई मुकदमेबाज़ी/माध्यस्थता करने का मामला नहीं रहा है।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नामः
पदनामः
मोहरः

स्थान:
दिनांक: